न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 45/2023 G.C.M.S. No. 2023/317 दर्ज दिनांक : 28.08.2023

अपीलार्थिगण:

1. पुखराज पुत्र जीवारामजी, जाति जणवा चौधरी, निवासी सेवाड़ी रोड़, पारलावा जाव, बाली, तहसील बाली।
2. शेषाराम पुत्र जीवारामजी, जाति जणवा चौधरी, निवासी रड़ावा, एसबीआई बैंक के सामने, बाली, तहसील बाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. देवाराम पुत्र जीवारामजी, जाति जणवा चौधरी, निवासी बाली।
2. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार बाली, जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर बाली द्वारा राजस्व वाद प्रकरण संख्या 19/2019 बअनवान देवाराम बनाम पुखराज वगैरह में पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 23.03.2022 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकार–

1. श्री घनश्यामसिंह राजपुरोहित, श्री धीरेन्द्रसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री लक्ष्मण के. चौधरी, श्री चेतन आगरी, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

निर्णय

दिनांक: 23.06.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर बाली द्वारा राजस्व वाद प्रकरण संख्या 19/2019 बअनवान देवाराम बनाम पुखराज वगैरह में पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 23.03.2022 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा अपीलाण्ट्स के विरूद्ध विभाजन का वाद कस्बो बाली में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1036 रकबा 3.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1036/3634 रकबा 0.77 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1073 रकबा 0. 01 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकीन बेरा एवं खसरा नम्बर 1074 रकबा 0.04 हैक्टेयर गैर मुमकीन सड़क कुल रकबा 3.91 हैक्टेयर बाबत् पेश किया तथा अपीलाण्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलाण्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेशी दिनांक 13.08.2019 को उपस्थित होकर अधिवक्ता नियुक्ति हेतु आवेदन पेश कर समय चाहा, तत्पश्चात् अपीलाण्ट्स ने रेस्पोंडेण्ट संख्या एक के साथ मौजिज व्यक्तियों के रूबरू बैठक की और बताया कि उपरोक्त कृषि भूमि सहित अन्य कृषि भूमि का विभाजन पिताजी द्वारा ही वर्ष 1994 में किया जा चुका है और माफिक विभाजन सभी अपीलाण्ट्स एवं रेस्पोंडेण्ट संख्या एक स्वतंत्र रूप से अलग–अलग काबिज है एवं काश्त कर रहे है। विभाजन तत्समय ही एक्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी बाली

Scanned with OKEN Scanner

अपॉन हो गया है तथा अपीलाण्ट्स ने अपने हिस्से की भूमि में तारबंदी कर रखी है तथा उपजाऊ बनाने हेतु हजारों रूपये खर्च किये हैं। उपरोक्त बैठक में यह तय हुआ कि मौके पर पिताजी द्वारा जो विभाजन किया गया है वह मंजूर रहेगा और उसी अनुसार रेस्पोडेण्ट संख्या एक रेकर्ड में विभाजन करवाकर अमलदरामद करवा लेगा तथा अपीलाण्ट्स को यह कहा कि अपीलाण्ट्स को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर अधिवक्ता करने और पैरवी करने की आवश्यकता नहीं है। चूंकि अपीलाण्ट्स एवं रेस्पोडेण्ट संख्या एक सगे भाई है तथा रेस्पोडेण्ट संख्या एक पढ़े लिखे और बैंक अधिकारी रहे है, जबकि अपीलाण्ट्स अनपढ एवं साक्षर मात्र है, इसलिए रेस्पोडेण्ट संख्या एक पर पूर्ण विश्वास करते हुए अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए, जिसका नाजायज फायदा उठाते हुए रेस्पोडेण्ट संख्या एक ने अपीलाण्ट्स के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करवाकर प्राथमिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री पूर्व में हुए विभाजन के विपरीत पारित करवा दी। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की जा रही हैं कि अपीलाण्ट्स को विधिनुसार जवाबदावा पेश करने, साक्ष्य, सबूत प्रस्तुत करने इत्यादि का कोई अवसर प्राप्त नहीं हुआ। विधिनुसार प्रत्येक व्यक्ति को सुनवाई का पर्याप्त एवं समुचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। आज भी मौके पर अपीलाण्ट्स एवं रेस्पोंडेण्ट संख्या एक पिताजी के समय से किये गये विभाजन अनुरूप काबिज है एवं काश्त कर रहे है। पिताजी के समय हुए विभाजन अनुसार रेस्पोंडेण्ट संख्या एक के हिस्से में खसरा नम्बर 1036/3634 एवं खसरा नम्बर 1036 का चिपता हुआ थोडा सा हिस्सा एवं खसरा नम्बर 1075, 1076 में पुखराज का हिस्सा रहा था तथा अपीलाण्ट्स के हिस्से में खसरा नम्बर 1036 रहा था, जिसमें भी दोनों अपीलाण्ट्स के अलग–अलग हिस्से किये हुए हैं एवं खसरा नम्बर 1069 के चिपता हिस्सा पुखराज के तथा खसरा नम्बर 1014, 1015 के चिपता हिस्सा शेषाराम के हिस्से में रहा है। इसी अनुसार मौके पर तारबंदी की हुई है, धोरापाली की हुई हैं और स्वतंत्र रूप से सभी बहैसियत खातेदार काश्त कर रहे हैं। उपरोक्त विभाजन अपीलाण्ट और रेस्पोंडेण्ट के पिताजी ने अपनी मृत्यु से 5–6 वर्ष पूर्व किया था। पिताजी की मृत्यु वर्ष 2000 में हो चुकी हैं। विभाजन उसी समय एक्ट अपॉन हो चुका है, ऐसी स्थिति में बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर प्रस्तुत विभाजन का वाद विधिक रूप से पोषणीय नहीं था। उपरोक्त समस्त तथ्यों को छिपाते हुए रेस्पोंडेण्ट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय में अपने पढ़े लिखे हुए सेवानिवृत बैंक अधिकारी होने व अपीलाण्ट्स का बडा भाई होने का नाजायज फायदा उठाकर अपीलाण्ट्स को विश्वास में लेकर एकपक्षीय निर्णय व डिक्री पूर्व विभाजन के विपरीत पारित करवा दी और उसके आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में पालना भी करवा दी। इसके अतिरिक्त प्राथमिक डिक्री पूर्व में हुए विभाजन के विपरीत बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर पारित की हैं, जो विधिनुसार नहीं है,

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner

क्योंकि जहां पर पहले से ही आपसी सहमति से विभाजन हो जाता है तथा विभाजन एक्ट अपॉन हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में पुनः न तो विभाजन का वाद पोषणीय रहता है, न ही बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन किया जा सकता है। चूंकि इस सम्बन्ध में अपीलाण्ट्स को साक्ष्य, सबूत, सुनवाई एवं जवाब का अवसर प्राप्त नहीं हुआ, इस कारण से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल रेस्पोंडेण्ट संख्या एक के कथनों पर विश्वास करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर दी। प्राथमिक डिक्री की पालना में नियम 18 से 21 में वर्णित अनुसार एवं मान. राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर की पूर्ण पीठ तथा मान. राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा जारी परिपत्र अनुसार तहसीलदार स्वयं को सभी पक्षों को नोटिस देकर मौके पर जाकर सभी पक्षों के रूबरू निर्धारित फोर्मेट में विभाजन प्रस्ताव तैयार करना आवश्यक है, मौके पर नाप-चौक करना भी आवश्यक है, उपरोक्त प्रक्रिया के विपरीत प्रस्तावित विभाजन पूर्णरूप से अवैध है और उसके आधार पर पारित अंतिम निर्णय व डिक्री भी प्रथमदृष्टया ही अवैध है। उपरोक्त प्रकरण में प्राथमिक डिक्री की पालना में विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने से पूर्व तहसीलदार महोदय द्वारा न तो मौका देखा गया, न ही अपीलाण्ट्स को नोटिस दिये गये, न ही अपीलाण्ट्स को सूचित किया गया, न ही विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार महोदय द्वारा तैयार किये गये। उपरोक्त विभाजन प्रस्ताव अपीलाण्ट्स की अनुपस्थिति में और बिना अपीलाण्ट्स को सूचित किये भू-अभिलेख निरीक्षक बाली द्वारा दिनांक 19.07.2021 एवं दिनांक 11.01.2022 को तैयार किये गये, जिसमें मौके पर जाने एवं मौके पर नाप-चौक किये जाने, मौका निरीक्षण किये जाने बाबत कुछ भी तथ्य अंकित नहीं है। उपरोक्त दोनों ही विभाजन प्रस्ताव पर तहसीलदार महोदय बाली के काउन्टर हस्ताक्षर के रूप में हस्ताक्षर किये गये है, इससे स्पष्ट है कि तहसीलदार महोदय द्वारा न तो मौका देखा है, न ही विभाजन प्रस्ताव तैयार किया है। उपरोक्त दो बार विभाजन प्रस्ताव किस आधार पर तैयार किये गये है, इस बारे में पत्रावली पर कुछ भी अंकित नहीं हैं। दोनों ही विभाजन प्रस्ताव समान है। ऐसी स्थिति में भूमिधारी तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं किये जाने, मौका नहीं देखे जाने एवं अपीलाण्ट्स को सूचित नहीं किये जाने से उक्त विभाजन प्रस्ताव पूर्ण रूप से अवैध होने से उसके आधार पर पारित अंतिम निर्णय व डिक्री ही विधि के विपरीत एवं अवैध होने से अपास्त योग्य है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिनुसार प्राथमिक डिक्री जारी नहीं की हैं और बिना प्राथमिक डिक्री जारी किये ही प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव पेश किया है, जो विधिनुसार नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 08.03.2021 में दर्ज अनुसार पी. डी. जारी करने का आदेश पारित किया, जिसकी पालना में अलग से उसी दिनांक को निर्णय अवश्य पारित किया है, लेकिन उसकी पालना में डिक्री जारी नहीं की गई है, उसके

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

बिना डिक्री के पारित निर्णय की न तो विधिनुसार पालना हो सकती है, न ही ऐसे विभाजन प्रस्ताव पर अंतिम डिक्री जारी हो सकती हैं। हस्तगत प्रकरण में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी हाल ही में अपीलाण्ट्स द्वारा अपने हिस्से की भूमि में फसल बोई गई, तब रेस्पोंडेण्ट संख्या एक ने पुलिस थाना में अपीलाण्ट्स के विरूद्ध शिकायत की गई कि उसके नाम की भूमि पर अपीलाण्ट्स ने फसल बोई है, तब पुलिस वालों ने आकर अपीलाण्ट्स को बताया कि अपीलाण्ट्स ने रेस्पोंडेण्ट संख्या एक के नाम की खातेदारी भूमि पर फसल कैसे बो दी, जिस पर अपीलाण्ट्स ने पुलिस वालों से निवेदन किया कि पिताजी के समय से किये गये विभाजन अनुसार हम लोग काबिज है, काश्त कर रहे हैं एवं इस बाबत् अपने बडे भाई रेस्पोंडेण्ट संख्या एक से उसी दिन निवेदन किया कि आपने पुलिस में रिपोर्ट कैसे कर दी, तब उन्होंने बताया कि न्यायालय से विभाजन हो गया है और प्रत्येक खसरे के तीन–तीन हिस्से कर दिये है, इसलिए उसके हिस्से में अपीलाण्ट्स ने फसल कैसे बो दी और इस बाबत कानूनी कार्यवाही की चेतावनी दी, जिस पर उसी दिन अर्थात् दिनांक 20.07.2023 को अधीनस्थ न्यायालय में जाकर अधिवक्ता से संपर्क कर जानकारी कर नकलों हेतु आवेदन करवाया, जहां से कुछ नकले दिनांक 23.07.2023 को प्राप्त हुई, कुछ नकलें दिनांक 21.07.2023 को प्राप्त हुई, जिसे लेकर पाली जाकर अधिवक्तागण से सलाह ली, तब उन्होंने पत्रावली देखकर बताया कि इसमें प्राथमिक डिक्री की प्रमाणित प्रति नहीं है, जिस बाबत पुनः आवेदन किया जहां से नकले दिनांक 07.08.2023 को प्राप्त होने पर उपरोक्त अपील बिना देरी किये पेश की जा रही हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व अंतिम डिक्री अपास्त फरमावें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त सहखातेदारी भूमि के बंटवाड़ा हेतु अपीलांट्स प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादपत्र प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 08.03.2021 को प्राथमिक डिक्री बाबत निर्णय व दिनांक 23.03.2022 को अंतिम डिक्री पारित की गई। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 11.08.2023 को प्रस्तुत की। जो लगभग 15 माह के विलंब के साथ पेश की गई हैं। अपीलांट द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए अपील के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner

अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी हाल ही में अपीलाण्ट्स द्वारा अपने हिस्से की भूमि में फसल बोई गई, तब रेस्पोंडेण्ट संख्या एक ने पुलिस थाना में अपीलाण्ट्स के विरूद्ध शिकायत की गई कि उसके नाम की भूमि पर अपीलाण्ट्स ने फसल बोई है, तब पुलिस वालों ने आकर अपीलाण्ट्स को बताया कि अपीलाण्ट्स ने रेस्पोंडेण्ट संख्या एक के नाम की खातेदारी भूमि पर फसल कैसे बो दी, जिस पर अपीलाण्ट्स ने पुलिस वालों से निवेदन किया कि पिताजी के समय से किये गये विभाजन अनुसार हम लोग काबिज है, काश्त कर रहे हैं एवं इस बाबत् अपने बडे भाई रेस्पोंडेण्ट संख्या एक से उसी दिन निवेदन किया कि आपने पुलिस में रिपोर्ट कैसे कर दी, तब उन्होंने बताया कि न्यायालय से विभाजन हो गया है और प्रत्येक खसरे के तीन–तीन हिस्से कर दिये है, इसलिए उसके हिस्से में अपीलाण्ट्स ने फसल कैसे बो दी और इस बाबत कानूनी कार्यवाही की चेतावनी दी, जिस पर उसी दिन अर्थात् दिनांक 20.07.2023 को अधीनस्थ न्यायालय में जाकर अधिवक्ता से संपर्क कर जानकारी कर नकलों हेतु आवेदन करवाया, जहां से कुछ नकले दिनांक 23.07.2023 को प्राप्त हुई, कुछ नकलें दिनांक 21.07.2023 को प्राप्त हुई, जिसे लेकर पाली जाकर अधिवक्तागण से सलाह ली, तब उन्होंने पत्रावली देखकर बताया कि इसमें प्राथमिक डिक्री की प्रमाणित प्रति नहीं है, जिस बाबत पुनः आवेदन किया जहां से नकले दिनांक 07.08.2023 को प्राप्त होने पर उपरोक्त अपील बिना देरी किये पेश की गई। अतः विलंबकाल माफ कर अपील अंदर म्याद शुमार फरमावें।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में अपीलांट द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना में अपेक्षित विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं किये जाने तथा विचारण न्यायालय द्वारा उक्त विधिक लोप की अवहेलना करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये जाने को सारवान रूप से प्रश्नगत किया है। हमारे विनम्र मत में प्रकरण का निर्णयन कठोर, तकनीकी, प्रक्रियात्मक आधार पर नहीं किया जाकर गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए, जिसके लिए उभयपक्षकारान को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है। अतः विलंबकाल सद्भाविक व युक्तियुक्त होने से माफ किया जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।

3. विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में भू.अ.नि. बाली द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर तहसीलदार बाली को प्रेषित किया गया। जिसे तहसीलदार बाली द्वारा पत्रांक/1251 दिनांक 22.07.2021 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को मूल ही प्रेषित किया गया। तहसीलदार द्वारा अपने पत्र में यह भी अंकित किया है कि प्राथमिक डिक्री आदेश अनुसार भू.अ.नि. वृत्त बाली/पटवारी हल्का से पक्षकारों के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन प्राप्त कर मूल ही पत्र के संलग्न प्रेषित है। इससे

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

स्पष्ट है कि विभाजन प्रस्ताव न तो संबंधित तहसीलदार द्वारा तैयार किया गया है एवं न ही विभाजन प्रस्ताव मौके पर तैयार किया गया है एवं न ही विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व संबंधित सहखातेदारान को इस बाबत सूचित किया है।

4. राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 में यह आज्ञापक विधिक प्रावधान है कि न्यायालय निर्णय द्वारा जोत के विभाजन के संबंध में पारित डिक्री की अनुपालना में संबंधित तहसीलदार द्वारा समस्त सहखातेदारान को सूचित करते हुए स्वयं मौके पर उपस्थित होकर, तहसीलदार द्वारा मौके पर ही विभाजन प्रस्ताव एवं नक्शे आदि तैयार किए जाने चाहिए। यह तहसीलदार का आज्ञापक कर्तव्य होता है, जिसे तहसीलदार किसी भी दृष्टि से अपने अधीनस्थ को प्रत्यायोजित नहीं कर सकता। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार बाली द्वारा उक्त आज्ञापक विधिक प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है। ऐसी स्थिति में संबंधित भू.अ.नि. द्वारा तैयार कथित विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य नहीं हैं। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त महत्वपूर्ण विधिक प्रास्थिति के उल्लंघन पर गौर नहीं करते हुए अपीलाधीन निर्णय व अंतिम डिक्री पारित की हैं। जो विधिक रूप से समर्थन व पुष्टियोग्य नहीं हैं।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित हुई हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाकर प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णयन के लिए अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट्स अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाकर न्यायालय सहायक कलक्टर बाली द्वारा राजस्व वाद प्रकरण संख्या 19/2019 बअनवान देवाराम बनाम पुखराज वगैरह में पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 23.03.2022 को अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में तहसीलदार सोजत द्वारा सभी सहखातेदारान को विधिवत सूचित करते हुए स्वयं मौके पर उपस्थित रहकर राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 एवं इसकी अनुपालना में विभाजन के प्रकरणों में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की अनुपालना करवाते हुए विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णित करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्ता पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 25.07.2025 को असालतन/वकालतन न्यायालय सहायक कलक्टर

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

बाली में उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **23.06.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली